

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015
 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कुकरखेडा
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
 (नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत कुकरखेडा

निर्णय दिनांक:- 03.06.2015

1. श्री उदयराम पिता डुगाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
बनाम
2. श्री देवाराम पिता वरदाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
3. श्री भूराराम पिता दल्लाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
4. श्री धन्ना राम पिता सुजाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
5. श्री मोहनराम पिता सुजाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
6. श्री कंसुराम पिता सुजाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रकरण संख्या :- 93/2012 रे.वा.

अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए


वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व में मौजा सदारण पटवार मंडल कुकरखेडा में खाता संख्या 128 नया एवं पुराना 122 में निम्न विवरण वाली आराजी स्थित है।

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वासी	
128	2017	0	15	0	नहरी 1
	2177	0	5	10	बारानी 2
	2178	0	6	0	बारानी 2
	2179	0	4	0	बारानी 2
	2180	0	3	10	बारानी 2
	2182	0	16	0	जाव 2 चाही 2
	2183	1	8	0	जाव 2 चाही 2
	2185	01	1	0	चाही 2 जाव 2
	2186	0	16	10	चाही 2 जाव 2
	2188	0	5	0	उसर
	2203	0	5	10	बारानी 2
	2204	0	5	0	बारानी 2
	2213	0	3	10	बारानी 2
	2214	0	6	10	बारानी 2
	3395	0	12	0	बारानी 2
	3396	0	7	0	बारानी 2
	3398	0	8	10	बारानी 2
	3399	0	12	0	बारानी 2

कुल कित्ता 18 रकबा 9 बीघा 10 विस्वांसी

उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी में वादी उदयराम का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवाराम का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 भुराराम का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का 3/12 हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा है। खाता संख्या 128 के खसरा नम्बर 2017, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2185, 2186, 2188, 2203, 2204, 2213, 2214, 3395, 3396, 3398, 3399 में दर्ज खातेदार सुजा पिता नोम्बा की मृत्यु हा चुकी है। तथा श्रीमति हंजा देवी का वारिस भूरा पिता दल्ला रिकार्ड में दर्ज है। जिसका उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3,4,5 है। वादी और प्रतिवादीगण रिकार्डड खातेदार होकर उनके हिस्से पर काबिज होकर उपरोक्त कृषि भूमि का हिस्सेनुसार भाग का उपभोग उपयोग करते आ रहे हैं। उपरोक्त प्रतिवादी आराजियात रिकार्ड में बिना बंटी हुई चली आ रही है। प्रत्येक रिकार्डड खातेदार अपनी सहूलियत के अनुसार अपने अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर उसका उपभोग करते चले आ रहे हैं। गोंके पर जमीन बराबर बंटी नहीं होने से किसी के पास कम व किसी के पास ज्यादा भूमि होने के कारण फसल

बोते व काटते समय हमेशा लड़ाई झगडा होता रहता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगणों से उक्त जमीन का बंटवारा करने हेतू कहा मगर हमेशा प्रतिवादी टालमटोल करते आ रहे हैं। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारी के बीच आज दिनांक 03.06.2015 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प कुकरखेडा मे वादी श्री उदयराम की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमति नाथी देवी ने प्रार्थना पत्र पेश किया की उदयराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान नाथी देवी पत्नी उदयराम तथा पूनाराम, हीरालाल, प्रभुलाल, पिसरान, उदयराम उनके वारिस है। अतः वारिसान कायम मुकाम स्वीकृति दी जाती है। वादी के वारिसानों एवं प्रतिवादीगणों में आपसी समझाइश से आपसी राजीनामा हो चुका है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगणों की आपसी समझाइश कर मौजा कुकरखेडा में उपरोक्त आराजियात में वादी उदयराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवाराम का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 भुराराम का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का 3/12 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगणों को मौके पर अपने अपने हिस्से पर जिस जगह आराजियात पर काबिज है उस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सुनाया गया।


सहसिद्धि अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द